

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-25032026-271300
SG-DL-E-25032026-271300असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87]	दिल्ली, बुधवार, मार्च 25, 2026/ चैत्र 4, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 510
No. 87]	DELHI, WEDNESDAY, MARCH 25, 2026/ CHAITRA 4, 1948	[N. C. T. D. No. 510

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 25 मार्च, 2026

F.14(107)/LA/2026/ala1/2-11— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप-राज्यपाल की सहमति दिनांक 25th March, 2026 को प्राप्त कर ली है और इसे जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

दिल्ली विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 2026
(2026 का दिल्ली अधिनियम 04)(24th March, 2026 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित){25th March, 2026}

वर्ष 2025-2026 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए एक अधिनियम

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त शीर्षक

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 2) अधिनियम 2026 है।

₹6414,58,14,000/- का वर्ष 2025-2026 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभागों की अदायगी के लिए छः हजार चार सौ चौदह करोड़ अठ्ठावन लाख चौदह हजार रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2025-2026 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी।

विनियोजन

3. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची (धारा 2 और धारा 3 देखिए)

(रुहजार में)

निम्नलिखित से अनाधिक राशियाँ

अनुदान संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
I	II		III	IV	V
1	विधान मंडल	राजस्व	200	0	200
		पूँजी	1075	0	1075
3	न्याय प्रशासन	राजस्व	100	0	100
		पूँजी	200	34583	34783
4	वित्त	राजस्व	1263680	0	1263680
		पूँजी	100	0	100
5	गृह	राजस्व	100	1900	2000
		पूँजी	100	0	100
6	शिक्षा	राजस्व	500	50000	50500
7	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	राजस्व	460	100	560
		पूँजी	700	0	700
8	समाज कल्याण	राजस्व	400	0	400
9	श्रम एवं रोजगार	राजस्व	0	100	100
10	राजस्व	राजस्व	1544045	0	1544045
		पूँजी	2100	0	2100
11	शहरी विकास	राजस्व	300	0	300
12	सामान्य प्रशासन	पूँजी	4610	0	4610
15	सतर्कता	पूँजी	2000	0	2000
16	सूचना एवं प्रसारण	पूँजी	7710	0	7710
18	चुनाव	राजस्व	100	0	100
19	योजना	राजस्व	100	0	100

		पूँजी	200	0	200
21	कला, संस्कृति एवं भाषा	राजस्व	401	0	401
22	परिवहन	राजस्व	100	500	600
		पूँजी	28578300	0	28578300
24	पर्यटन	राजस्व	17600	0	17600
25	नागरिक आपूर्ति	राजस्व	1496550	0	1496550
26	विकास	राजस्व	100	0	100
		पूँजी	100	0	100
27	सहकारिता	राजस्व	200	0	200
28	सिंचाई एवं बाढ़	राजस्व	100	0	100
		पूँजी	1200	0	1200
29	पर्यावरण एवं वन	पूँजी	150000	0	150000
30	लोक निर्माण	राजस्व	200	0	200
		पूँजी	24134800	0	24134800
32	ऊर्जा	राजस्व	100	0	100
		पूँजी	100	0	100
35	सार्वजनिक ऋण	राजस्व	0	7850000	7850000
	कुल		57208631	7937183	65145814

रीतेश सिंह, प्रधान सचिव

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS**NOTIFICATION**

Delhi, the 25th March, 2026

F.14(107)/LA/2026 /ala1/2-11— The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 25th March, 2026 and is hereby published for general information.

THE DELHI APPROPRIATION (No. 2) ACT, 2026**(DELHI ACT No. 04 of 2026)**(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 24th March, 2026).[25th March, 2026]

An Act to authorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2025-2026.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Seventy-Seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No. 2) Act, 2026.

Issue of Rs 6514,58,14,000/- from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2025-2026.

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of **Rupees six thousand five hundred fourteen crore fifty eight lakh fourteen thousand only** towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2025-2026 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

(Rs In thousand)

SUMS NOT EXCEEDING

Demand No.	Services and Purposes		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
I	II		III	IV	V
1	Legislative Assembly	Revenue	200	0	200
		Capital	1075	0	1075
3	Administration of Justice	Revenue	100	0	100
		Capital	200	34583	34783
4	Finance	Revenue	1263680	0	1263680
		Capital	100	0	100
5	Home	Revenue	100	1900	2000
		Capital	100	0	100
6	Education	Revenue	500	50000	50500
7	Medical & Public Health	Revenue	460	100	560
		Capital	700	0	700
8	Social Welfare	Revenue	400	0	400
9	Labour & Employment	Revenue	0	100	100
10	Revenue	Revenue	1544045	0	1544045
		Capital	2100	0	2100
11	Urban Development	Revenue	300	0	300
12	General Administration	Capital	4610	0	4610
15	Vigilance	Capital	2000	0	2000
16	Information & Publicity	Capital	7710	0	7710
18	Election	Revenue	100	0	100
19	Planning	Revenue	100	0	100
		Capital	200	0	200
21	Art, Culture & Language	Revenue	401	0	401
22	Transport	Revenue	100	500	600
		Capital	28578300	0	28578300
24	Tourism	Revenue	17600	0	17600
25	Civil Supplies	Revenue	1496550	0	1496550
26	Development	Revenue	100	0	100
		Capital	100	0	100
27	Cooperative	Revenue	200	0	200

28	Irrigation & Flood	Revenue	100	0	100
		Capital	1200	0	1200
29	Environment & Forest	Capital	150000	0	150000
30	Public Works	Revenue	200	0	200
		Capital	24134800	0	24134800
32	Power	Revenue	100	0	100
		Capital	100	0	100
35	Public Debt	Revenue	0	7850000	7850000
Total			57208631	7937183	65145814

REETESH SINGH, Principal Secy.